



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 10 अक्टूबर, सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर—प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) वृत्त—बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर को परिवादी से 11 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर—प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पैतृक भूमि के संबंध में बहनों के हक त्याग की प्रक्रिया करने तथा रहन के संबंध में नो—ड्यूज जारी करने की एवज में अशोक कुमार राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) वृत्त—बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर द्वारा 11 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर—प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद एवं उनकी टीम द्वारा द्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम निवासी कोटपूतली, जिला जयपुर हाल राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) वृत्त—बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर को परिवादी से 11 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।